

कार्यालय, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, मुजफ्फरपुर ।

—: आदेश :—

श्री शत्रुघ्न कुमार, तत्कालीन पंचायत रोजगार सेवक, पंचायत-शेरूकांही, प्रखंड-कांटी, जिला-मुजफ्फरपुर द्वारा अभिकरण के आदेश ज्ञापांक 1309 दिनांक 19.05.2012 से किये गये अनुबंध रद्द के विरुद्ध सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के समक्ष अपील दायर की गई थी ।

सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना द्वारा श्री कुमार के अपीलीय अभ्यावेदन को स्वीकार करते हुए विभागीय आदेश ज्ञापांक 253187 दिनांक 25.11.2015 से अपीलार्थी को एक मौका देते हुए कार्यहित में मुजफ्फरपुर जिला में पदस्थापित किया गया है ।

अतः उपर्युक्त के आलोक में श्री शत्रुघ्न कुमार को निदेश दिया जाता है कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, मुजफ्फरपुर में योगदान देते हुए विधिवत एकरारनामा पत्र तैयार कर प्रस्तुत करें, ताकि एकरारनामा को स्वीकार करते हुए योगदान स्वीकृत किया जा सके ।

H c - /

उप विकास आयुक्त,
मुजफ्फरपुर ।

ज्ञापांक :- 3214 अभिकरण, मुज0 दिनांक : 11/12/2015

प्रतिलिपि : सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को उनके आदेश ज्ञापांक 253187 दिनांक 25.11.2015 के प्रसंग में सादर सूचनार्थ समर्पित ।

प्रतिलिपि : आयुक्त, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर को सादर सूचनार्थ समर्पित ।

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सादर सूचनार्थ समर्पित ।

✓ प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, मुजफ्फरपुर के बेवसाईट पर प्रदर्शनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि : श्री शत्रुघ्न कुमार, पिता-श्री रामर्चा सिंह, ग्राम+पो0-रामपुर (पी0टी0), भाया-कियुल (आर0एस0), जिला-लखीसराय, पिन-811310 को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि : मनरेगा प्रभारी सहायक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ प्रेषित ।

Awly
10/12/15

उप विकास आयुक्त,
मुजफ्फरपुर ।